

सं०: डब्ल्यू-11042/55/2011-जल-॥

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय  
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,  
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,  
नई दिल्ली, 110003  
दिनांक: 05.08.2014

सेवा में,

प्रधान सचिवों/सभी राज्यों के सचिव

विषय:- जल आपूर्ति स्कीमों के वितरण नेटवर्क और ट्रांसमिशन लाइनों की डिजाइन के संबंध में।

महोदय,

मंत्रालय के संज्ञान में यह बात आई है कि पाइप जल आपूर्ति स्कीमों के पाइप नेटवर्क और ट्रांसमिशन लाइनों की डिजाइनिंग करते समय सीपीएचईईओ मैनुअल के अध्याय 6 में दिए मानदंड को नहीं अपनाया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि वितरण नेटवर्क/ट्रांसमिशन लाइनों की डिजाइनिंग करते समय सीपीएचईईओ मैनुअल(1999) और बीआईएस मानकों में उपलब्ध नवीनतम डिजाइन मानदण्ड अपनाएँ। जहाँ तक पाइप सामग्री के उपयोग का संबंध है, "राज्य पाइप नीति" सीपीएचईईओ मैनुअल के अध्याय 6 में की गई अनुशंसाओं को अपनाया जाए।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र)

अतिरिक्त सलाहकार